

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 36/2020

दायर दिनांक :- 07.01.2020

अनवान

श्री अरविन्द पिता सुखवल्लभ ब्राहमण नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता सोदास खटीक नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
2. श्री सुरेश पिता सोदास खटीक नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
3. श्री डालचन्द पिता सोदास खटीक नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
4. श्री प्रेमराज पिता रतनलाल जाट नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
5. श्री सत्यकाम पिता मदन मोहन ब्राहमण नि. शाहपुरा तह० जहाजपुर
6. श्री प्रेमचन्द पिता देवकिशन ओझा नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
7. श्री भंवरलाल पिता मनोहर बन्डेला नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
8. श्री सत्यनारायण पिता मनोहर बन्डेला नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
9. श्री प्रहलाद पिता मनोहर बन्डेला नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
10. श्री रामस्वरूप पिता धूलौराम छीपा नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
11. श्री देवी पिता भूरा कीर नि. भक्तो की झुपडिया तह० जहाजपुर
12. श्री उंकार पिता भूरा कीर नि. भक्तो की झुपडिया तह० जहाजपुर
13. श्री रूपा पिता उंकार कीर नि. भक्तो की झुपडिया तह० जहाजपुर
14. श्री अध्यक्ष मुनिसुव्रतनाथ जैन अतिशय क्षेत्र विकास संस्थान जहाजपुर
15. श्री गोपाल पिता भंवरलाल चौधरी नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
16. श्री कैलाश पिता भंवरलाल चौधरी नि. जहाजपुर तह० जहाजपुर
17. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 04.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प० ह० जहाजपुर तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 5355, 5361, 5381, 5388 कुल किता 04 रकबा 20.02 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तार्ईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जहाजपुर प० ह० जहाजपुर तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 5355, 5361, 5381, 5388 कुल किता 04 रकबा 20.02 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1600 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (भीलवाडा)